

उत्तर प्रदेश शासन
 प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2
 संख्या-1934/बीएस-ग्रा वि-2-61/200 सीटीसी
 दिनांक: 11 अक्टूबर, 2004

कार्यालय भाग

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के पत्र संख्या-8800/ई-2-टी-265, दिनांक - 29.07.2004 के अंश में अधोस्तराधिकारी को यह बताने का भ्रष्ट हुआ है कि श्री नीरव बोशी, व्याख्याता टेपस्टाइल टेक्नासायी, राजकीय पालीटेक्निक, गान्धुल को कक्षा में स्थायीकरण के लिए हुए उन्हें राजकीय पालीटेक्निक, फर्रुखाबाद में व्याख्याता टेपस्टाइल टेक्नासायी के रिक्त पद पर लेना के लिये जाने की राजस्व मंजूरी स्वीकृति प्रदान की है।


2. अतनुसार इस संघ में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

जी.पी. मिश्र
 विभागीय अधिकारी।

संख्या-1934/बीएस-ग्रा वि-2-2004, दिनांक: 11

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना के रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महासंचालक, 3050, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, 3050, गान्धुल।
3. अधीक्षक, गान्धुल/फर्रुखाबाद।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, गान्धुल/फर्रुखाबाद।
5. अधीक्षक, गान्धुल।
6. कार्य प्रमुख।

आज्ञा हे,

 जे.पी. मिश्र
 उप निदेशक।

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय,
 उत्तर प्रदेश।

पृ० सं०: 1934-29 / 15-10-2004
 संख्या-8800/ई-2-टी-265, गान्धुल : दिनांक-15/10/2004

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. विलय नियंत्रक, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, 3050, गान्धुल।
 2. संयुक्त निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, झांसी।
 3. अधिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, लखनऊ।
 4. अधिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद, लखनऊ।
 5. प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेक्निक, गान्धुल/फर्रुखाबाद।
- सम्बन्धित अधिकारी